

कार्यालय जिला परिषद सवाई माधोपुर
प्रशासनिक स्वीकृति
(नये कार्यों के लिए)

प्रशासनिक स्वीकृति संख्या व वर्ष 85-90

10/04/2026 दिनांक :

निम्नांकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना - माननीय श्री किरोड़ी लाल

राशि लाखों में

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य का स्थान	अनुशंसा पत्र क्रमांक दिनांक	अनुशंसा प्राप्ति दिनांक	अनुमानित लागत (लाख में)	कार्यकारी विभाग	कार्य संस्था	वार्षिक योजना की क्रम संख्या	कन्वर्जेंस योजना
1	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य मेन रोड से शिवालय की ओर।	मलारना इंगर-करेल	2026-27/16-092/3 31/03/2026	06/04/2026	10.00000	पंचायती राज संस्थाएँ	ग्राम पंचायत करेल	2026-27/167	-
2	सीसी सड़क निर्माण कार्य अपूर्ण सीसी रोड से डोला की ओर।	मलारना इंगर-करेल	2026-27/16-092/2 31/03/2026	06/04/2026	5.00000	पंचायती राज संस्थाएँ	ग्राम पंचायत करेल	2026-27/166	-
Total Cost					15.00000				

Total Expected Cost(in words): Fifteen Lakh only

उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन में निम्न शर्तों का पालन किया जायेगा :

- कार्य तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद ही शुरू किया किया जावेगा।
- ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2025 में निर्दिष्ट मापदंडों एवं व्यवस्थाओं तथा योजना के प्रावधानों की पालना करते हुए ही कार्य का संपादन किया जावेगा।
- कार्य की तकनीकी स्वीकृति तकमीना स्वीकृत राशि की सीमा में हो जाना चाहिये यदि स्वीकृत राशि से अधिक व्यय होता है तो निष्पादन संस्था विभाग को स्वयं ही वहन करना होगा जिसका लिखित में सहमती तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- स्वीकृत कार्यों के पूर्ण हो जाने पर उस पर स्थाई बोर्ड या पत्थर का बोर्ड लगाया जावेगा जिसमें विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का नाम लागत राशि एवं स्वीकृत वर्ष विधायक का नाम प्रारम्भ तिथि एवं पूर्ण होने की तिथि अंकित होना आवश्यक है।
- ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर द्वारा तथा सम्बन्धित विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों की पालना की जावेगी।
- योजना कोष के अन्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति/वित्तीय स्वीकृति अनुसार कार्यों का निरीक्षण लेखों का रखना मस्ट्रोल मजदूरों का भुगतान, सम्पत्ति रजिस्टर एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि के सम्बन्ध में ग्रामीण कार्य निर्देशिका की अनुपालना की जावेगी।
- सामान्य वित्तीय लेखा नियम/आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं आरटीपीपी नियम 2013 (अद्यतन संशोधन अनुसार) तथा विभिन्न विभागीय प्रावधानों अनुसार कार्यवाही, कार्यकारी संस्था के स्तर पर सुनिश्चित की जावे।
- सीमेंट कंक्रीट रोड़/इंटरलॉकिंग खरंजा का कार्य नाली निर्माण के साथ ही कराया जाना है।
- कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी किये जाने से पूर्व ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2025 के प्रावधानानुसार सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य स्थल पर मौके का निरीक्षण कर मौके स्थिति अनुसार कार्य मर्दों का मापदण्ड निर्धारित कर विस्तृत लागत अनुमान एवं डिजाईन नक्शा तैयार किया जावेगा तथा कार्य के संपादन की संभावना/कार्य की उपयोगिता के बारे में आश्वस्त होने पर ही तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगी, यह भी सुनिश्चित किया जावे कि ऐसे कार्य की स्वीकृति जारी नहीं की जावे जिस पर होने वाला व्यय निष्फल होने की संभावना हो।
- विवादास्पद कार्य स्थल/कार्य की किसी भी दशा में स्वीकृति जारी नहीं की जावे।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व "Geo Tagging" के साथ ही फोटो ली जावे।
- योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों का भुगतान विभागीय निर्देशों के अनुरूप "E- Work Portal" के माध्यम से ही किया जाएगा तथा कार्यों के नियमानुसार भुगतान एवं वैधानिक कटौतियों के लिए संबंधित कार्यकारी संस्था के भुगतानकर्ता जिम्मेदार होंगे। कार्यों की स्वीकृतियां विभाग द्वारा संचालित "E- Work Portal" से ही ऑन लाईन जारी की जावे एवं किसी भी स्थिति में ऑफ लाईन स्वीकृतियां जारी नहीं की जावे।

(GAURAV BUDANIA)
(CEO)
ZP SWM

क्रमांक :- 85-90

प्रतिलिपि :-

- माननीय श्री/श्रीमती Harish Chandra Meena (सांसद)
- माननीय - श्री किरोड़ी लाल (विधायक)
- जिला प्रमुख /मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सवाई माधोपुर।
- सम्बंधित कार्यकारी विभाग-संस्था पंचायती राज संस्थाएँ-ग्राम पंचायत करेल।
- विकास अधिकारी पंचायत समिति मलारना इंगर।

10/04/2026 दिनांक :

Document certified by GAURAV BUDANIA <BUDANIA.G@GMAIL.COM>

Digitally Signed by GAURAV BUDANIA
Designation : Chief Executive Officer
Date :10-04-2026 04:26:24

RajKaj Ref No.:
21493268
eSign DSC

कार्यालय जिला परिषद सवाई माधोपुर
वित्तीय स्वीकृति
(नये कार्यों के लिए)

वित्तीय स्वीकृति संख्या RJ/S_MA10/2026-
27/298293

व वर्ष 2026

दिनांक :11/05/2026

निम्नलिखित कार्यों की वित्तीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति की सीमा तक की राशि की लिमिट हस्तांतरण की स्वीकृति ई-वर्क पोर्टल पर प्रदान की जाती है।

योजना का नाम विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना - श्री किरोड़ी लाल (विधायक)

राशि लाखों में

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि(लाख में)				प्रशासनिक स्वीकृति संख्या व दिनांक	तकनीकी स्वीकृति संख्या व दिनांक	कार्यकारी संस्था	कंप्यूटर जनित कार्य संख्या
		जन सहयोग / निजी आय	योजना मद की राशि	कुल कन्वर्जेन्स की राशि	योग				
1	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य मैन रोड से शिवालय की ओर।	0	9.99837	0	9.99837	85-90 and 10/04/2026	1 and 18/04/2026	ग्राम पंचायत करेल / मलारना डूंगर-करेल -करेल	2026-27/167
			Total	0	9.99837				

Total Sanctioned Amount(in words) : Nine Lakh Ninety Nine Thousand Eight Hundred and Thirty Seven only

Signed by: Gaurav Budania,
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Location: S MADHOPUR,
Rajasthan,IN
Date: 2026-05-11 18:10:20 +05:30

v-2.1

उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन में निम्न शर्तों का पालन किया जायेगा

1. कार्य तकनीकी स्वीकृति के अनुसार ही किया जावेगा।
2. ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2025 में निर्दिष्ट मापदंडों एवं व्यवस्थाओं की पालना करते हुए ही कार्य का संपादन कार्य किया जायेगा।
3. कार्यों को ग्रामीण निर्देशिका 2025 के प्रावधानों में वर्णित अवधि तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से कार्य पूर्ण होने में विलम्ब होने की संभावना होती है तो विलम्ब की कारण सहित सूचना समय पर विभाग को प्रेषित/ सूचित करें।
4. कार्यों का निरीक्षण ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2025 के प्रावधानों के अनुसार किया जावे।
5. यदि कार्य के निष्पादन में अप्रत्याशित विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी वृद्धि के लिए कार्यकारी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
6. यदि कार्य विभिन्न योजनाओं के साथ डवटेल किया जाता है तो योजनावार राशि को पृथक-पृथक दर्शाना होगा।
7. कार्य की प्रगति नियमितरूप से ई-वर्क पोर्टल पर दर्जकरनी होगी।
8. स्वीकृत कार्य के भुगतान हेतु प्रचलित राजस्थान लोक उपापन एवं प्रदर्शिता नियम एवं वित्त- लेखा के अनुसार किये जाने एवं नियमानुसार वैधानिक कटौतियां किये जाने के लिए भुक्तानकर्ता जिम्मेदार होगा।

8. स्वीकृत कार्यों के पूर्ण हो जाने पर उस पर स्थाई बोर्ड या पत्थर का बोर्ड लगाया जावेगा जिसमें सम्बन्धित योजना का नाम लागत राशि एवं स्वीकृत वर्ष प्रारम्भ तिथि एवं पूर्ण होने की तिथि अंकित होना आवश्यक है।
9. ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर द्वारा तथा सम्बन्धित विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों की पालना की जावेगी।
10. योजना कोष के अन्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति/वित्तीय स्वीकृति अनुसार कार्यों का निरीक्षण लेखों का रखना मस्ट्रोल मजदूरों का भुगतान, सम्पति रजिस्टर एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि के सम्बन्ध में ग्रामीण कार्य निर्देशिका की अनुपालना की जावेगी।
11. सामान्य वित्तीय लेखा नियम/आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं आरटीपीपी नियम 2013 (अद्यतन संशोधन अनुसार) तथा विभिन्न विभागीय प्रावधानों अनुसार कार्यवाही, कार्यकारी संस्था के स्तर पर सुनिश्चित की जावें।
12. भुगतान हेतु ई.वर्क पोर्टल पर लिमिट जारी कर दी गई है।
13. विभागीय परिपत्र क्रमांक 00883 दिनांक 14.08.2025 द्वारा जीकेएन-2025 के प्रावधान अनुसार कार्यों का संपादन करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(GAURAV BUDANIA)
CEO ZP SWM

क्रमांक :- RJ/S_MA10/2026-27/298293

दिनांक : 11/05/2026

प्रतिलिपि :-

1. माननीय Harish Chandra Meena (सांसद)
2. माननीय श्री किरोड़ी लाल (विधायक)
3. जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, जिला परिषद्/ प्रधान, पंचायत समिति।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सवाई माधोपुर।
5. अधीक्षण अभियंता (अभियांत्रिकी/ मनरेगा), जिला परिषद् एवं सहायक अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता, पंचायत समिति को तकनीकी मार्गदर्शन एवं समस्त तकनीकी कार्य संपादन हेतु।
6. सम्बन्धित कार्यकारी विभाग-संस्था ग्राम पंचायत करेल।
7. परियोजना अधिकारी (लेखा) शाखा/ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखा अधिकारी को राशी हस्तांतरण हेतु।
8. विकास अधिकारी पंचायत समिति मलारना डूंगर।

(हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी)
Signed by: Gaurav Budania
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Location: S.MADHOPUR,
Rajasthan, IN
Date: 2026-05-11 18:10:20 +05:30
v-2.1

Signed by: Gaurav Budania,
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Location: S MADHOPUR,
Rajasthan,IN
Date: 2026-05-11 18:10:20 +05:30
v-2.1

कार्यालय पंचायती राज संस्थाएँ-ग्राम पंचायत करेल
तकनीकी स्वीकृति
(नये कार्यो के लिए)

क्र.सं. संख्या 1 व वर्ष 2026

दिनांक : 18/04/2026

निम्नांकित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

- कार्य का नाम : सीसी सडक मय नाली निर्माण कार्य मैन रोड से शिवालय की ओर।, कंप्यूटर जनित कार्य संख्या : 2026-27/167
- कार्य स्थल (पं.स-ग्राम पंचायत-ग्राम) : मलारना डूंगर-करेल -करेल
- प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक : 85-90, दिनांक : 10/04/2026, राशि : 10 लाख
- कार्य पूर्ण होने की अनुमानित अवधि : 3 माह
- स्वीकृत राशि परिशिष्ट -6 में अंकित लागत अनुमान के अनुसार :

राशि लाखों में

क्र.सं.	योजना का नाम	गेहूँ की मात्रा	गेहूँ की राशि	नकद राशि	कुल राशि (अ)	सामग्री घटक (ब)	जन सहयोग/निजी आय(स)	कुल राशि (अ+ब)
1	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	0	0.00000	1.55067	1.55067	8.44770	0.00000	9.99837
TotalCost								9.99837

Total Expected Cost(in words): ₹ Nine Lakh Ninety Nine Thousand Eight Hundred and Thirty Seven only

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्य का अनुमान ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2025 के प्रावधानों अनुसार बनाया गया है। मानचित्र में दिए परिमाणों को ध्यान में रखते हुए यथार्त में गणना कर मात्रा निकली है, विशेष विवरण तथा दरों की सत्यता को जाँच लिया गया है। प्रस्ताव के निर्दिष्ट सिद्धांत, बनावट की ठोसता एवं कार्य की उपयोगिता को कार्य स्थल का निरीक्षण कर, निर्माण की सम्भावना को सुनिश्चित कर लिया गया है। उपरोक्त कार्य किसी निजी भूमि पर नहीं किया गया है।

(Anandi lal meena)
Aen

क्रमांक:-1

दिनांक : 18/04/2026

प्रतिलिपि :-

- स्वीकृतिकर्ता अधिकारी : Anandi lal meena को प्रशासनिक स्वीकृति आदेश क्रमांक : 85-90 दिनांक 10/04/2026 के सन्दर्भ में संलग्न तकनीकी स्वीकृति मय तकमीने की प्रति।
- कार्यकारी संस्था : पंचायती राज संस्थाएँ -ग्राम पंचायत करेल संलग्न तकनीकी स्वीकृति मय तकमीने की प्रति।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद : S_MADHOPUR

Work ID : 2026-27/167

Work Name : सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य मैन रोड से शिवालय की ओर।

Scheme :

• विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

Location :

• करेल - करेल - मलारना डुंगर - सवाई माधोपुर

BSR Name : मलारना डुंगर - 02/04/2026

SI No	Spec Code	Description	No	L	B	D	Cf	Quantity	Labour Amount	Material Amount	Amount
1		Cc road									
1)	1	15 से.मी. तक औसत मिट्टी काटकर जमीन की सतह को संवारना (Dressing) तथा वनस्पती तथा छोटे पौधों को हटाना तथा तुच्छ पदार्थ और कुड़ा करकट को 1.5 मीटर उठान तथा 50 मीटर दूरी तक डालना।									
	1(ब)	संख्त मिट्टी / चिकनी मिट्टी / कंकर मिट्टी									
		dressing	1	259.00	3.75		1.00	971.25			
		Total Quantity = 971.25									
		Deducted Quantity = -0									
		Net Total Quantity = 971.25									
		971.25 वर्ग मीटर @ / Labour Rate : 10.84 Material Rate : 0.10 10.94 वर्ग मीटर							10528.35	97.13	10625.48
2)	138	क्वैरी रबिश (1/6 वोइड्स कार्टे)									
		quarry rubbish	1	259.00	3.75	0.15	1.00	145.69			
		VOID DEDUCTION 1/6	1	1.00	1.00	1.00	24.18	- 24.18			
		Total Quantity = 145.69									
		Deducted Quantity = -24.18									
		Net Total Quantity = 121.51									
		121.51 घन मीटर @ / Labour Rate : 0.00 Material Rate : 380.00 380.00 घन मीटर							0.00	46173.80	46173.80
3)	186	मूरम.भवन का मलवा.चूना.बजरी.पत्थर की गिट्टी 40mm नोमिनल साइज से कम तक का विभिन्न दूरी के लिए परिवहन सामग्री को चढ़ाना.उतारना व स्टेकिंग सहित । (परिवहन की लम्बाई निकटतम रूट से गणना की जावेगी न कि सड़क मार्ग से)									
	186(र)	10 कि.मी.									
		transportation	1	259.00	3.75	0.15	1.00	145.69			

Sl No	Spec Code	Description	No	L	B	D	Cf	Quantity	Labour Amount	Material Amount	Amount
		Deducted Quantity = -0									
		Net Total Quantity = 145.69									
		145.69 घन मीटर @ / Labour Rate : 0.00 Material Rate : 125.36 125.36 घन मीटर							0.00	18263.70	18263.70
4)	136	(ब) पत्थर i गिट्टी (रोड़ी) 1/11 वोइड्स कार्टे									
	136(ब)	63-40 मि.मी. हाथ से टूटी									
		63-40mm	1	259.00	3.75	0.10	1.00	97.13			
		VOID DEDUCTION (1/11)	1	1.00	1.00	1.00	8.79	- 8.79			
		Total Quantity = 97.13									
		Deducted Quantity = -8.79									
		Net Total Quantity = 88.34									
		88.34 घन मीटर @ / Labour Rate : 0.00 Material Rate : 890.00 890.00 घन मीटर							0.00	78622.60	78622.60
5)	137	मोरम(बाइंडिंग सामग्री) (1/12 वोइड्स कार्टे)									
		20% binding material for	1	259.00	3.75	0.10	0.20	19.43			
		VOID DEDUCTION (1/12)	1	1.00	1.00	1.00	1.61	- 1.61			
		Total Quantity = 19.43									
		Deducted Quantity = -1.61									
		Net Total Quantity = 17.82									
		17.82 घन मीटर @ / Labour Rate : 0.00 Material Rate : 350.00 350.00 घन मीटर							0.00	6237.00	6237.00
6)	140	डब्ल्यू.बी.एम. सतह को केम्बर तथा ग्रेड में, सामग्री को बिछाकर 8-10 टन के रोलर से दबाना, कूटना तथा वाईडिंग सामग्री को बिछाना, पानी डालना जिससे दबी हुई सतह 10 सेमी से अधिक हो तथा ईंधन लयूवरीकेट की कीमत तथा मशीन, औजार का किराया शामिल है।									
		rolling	1	259.00	3.75	0.25	1.00	242.81			
		Total Quantity = 242.81									
		Deducted Quantity = -0									
		Net Total Quantity = 242.81									

Sl No	Spec Code	Description	No	L	B	D	Cf	Quantity	Labour Amount	Material Amount	Amount
		242.81 घन मीटर @ / Labour Rate : 166.47 Material Rate : 25.69 192.16 घन मीटर							40420.58	6237.79	46658.37
7)	142	सीमेंट कंक्रीट सड़क की ऊपर की सतह पर कंट्रोल्ड कंक्रीट मिलाना ,डालना तथा निडिल तथा सतही कम्पन मशीन (वाइब्रेटर) चलाना तथा न खिसकने वाली सतह के लिये . चाहे गए ग्रेड.केम्बर तथा सुपर एलिवेशन में तैयार करना !									
	142(अ)	1:2:4 में									
		cc 1 2 4	1	259.00	3.75	0.15	1.00	145.69			
		drain base	1	259.00	0.15	0.10	1.00	3.89			
		drain wall	1	259.00	0.15	0.15	1.00	5.83			
		Total Quantity = 155.41									
		Deducted Quantity = -0									
		Net Total Quantity = 155.41									
		155.41 घन मीटर @ / Labour Rate : 657.55 Material Rate : 4279.07 4936.62 घन मीटर							102189.85	665010.27	767200.11
8)	147	कल्वर्ट/पुलिया निर्माण हेतु आरसीसी.रेन्फोसमेंट सीमेंट कंक्रीट)NP3 ह्युम पाइप एक पंक्ति में आवश्यक ढलान देते हुए सीमेंट मसाला 1:2 में बिछाने/लगाने का कार्य मय कोलर सहित । (मिटटी खुदाई.कंक्रीट व चिनाई कार्य के अलावा)									
	147(र)	300 mm व्यास पाइप									
		pipe 300mm	4	3.75			1.00	15.00			
		Total Quantity = 15.00									
		Deducted Quantity = -0									
		Net Total Quantity = 15.00									
		15.00 मीटर @ / Labour Rate : 9.77 Material Rate : 701.15 710.92 मीटर							146.55	10517.25	10663.80
9)	143	25 मिमी मोटा बिटुमन प्रसार जोड़ के शालीटेक्स बोर्ड का लगाना 150 मिमी गहराई में।									
		EXPANCTION JOINT	19	3.75			1.00	71.25			
		Total Quantity = 71.25									
		Deducted Quantity = -0									
		Net Total Quantity = 71.25									
		71.25 मीटर @ / Labour Rate : 25.00 Material Rate : 72.75 97.75 मीटर							1781.25	5183.44	6964.69

Sl No	Spec Code	Description	No	L	B	D	Cf	Quantity	Labour Amount	Material Amount	Amount
2		Contingency									8426.98112995
Estimate Labour Total 155066.58 Estimate Material Total 844769.95 Estimated Total 999836.53 /- Rounded Labour Total 155067 Rounded Material Total 844770 Rounded Total 999837 /- Total in Words Nine Lakh Ninety Nine Thousand Eight Hundred And Thirty Seven Only.											

Estimate Created by : ANANDI LAL MEENA
Estimate Approved by : ANANDI LAL MEENA

कार्यालय ग्राम पंचायत करेल पंचायत समिति मलारना डूंगर,जिला सवाई माधोपुर

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1	ई-निविदा सूचना संख्या	02 / 2026-27 क्रमांक.....दिनांक.....
2	कार्य का नाम	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य मैन रोड से शिवालय की ओर
3	निविदादात फर्म का नाम, पता मय दूरभाष/मोबाईल नं.	
4	निविदा अनुमानित लागत	राशि रु 10लाख (निविदा सूचना अनुसार)
5	निविदा शुल्क	राशि रु 1000 डी.डी. नं.दिनांक.....
6	धरोहर राशि	राशि रु 20 हजार डी.डी. नं.....दिनांक...
7	MD RISL,Jaipur का निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	राशि रु 500 डी.डी नं.....दिनांक.....
8	निर्माण विभाग में समक्ष श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।	
9	GST पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करे।	
10	GST रिटर्न की प्रति अंतिम तीमाही	
11	वांछित टर्न ओवर (सी.ए द्वारा प्रमावित)	
12	वांछित अनुभव प्रमाण पत्र	
13	एस.आर.प्रारूप-11	
14	Annexure-A,B,C,D,E Signed Copy	
15	शर्तों पर संवेदक के हस्ताक्षर	
16	शपथ –पत्र (निविदा शर्तों मे अंकित अनुसार)	

कार्यालय ग्राम पंचायत/पंचायत समिति मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर द्वारा जारी गई निविदा सूचना संख्या दिनांकहेतु मेर/फर्म द्वारा दी गई उक्त निविदा की शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा की शर्तें
निविदा सं 02/2026-27

1. धरोहर राशि अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत एवं निविदा शुल्क 1000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक ग्राम पंचायत करेल के पक्ष में देय होगा एवं प्रोसेसिंग शुल्क रुपये 500 का डी. डी.
M.D. RISL Jaipur के पक्ष में देय होगा। तकनीकी रूप से अर्हक पाई जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
2. निविदादाता कर GST अधिनियम -2017 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी होना आवश्यक है निविदा के साथ अंतिम तिमाही का रिटर्न संलग्न करना होगा।
3. वित्तीय दरें BOQ के अनुसार प्रतिशत पर स्वीकार की जायेगी।
4. निविदा के तकनीकी भाग में बिन्दु संख्या-1 एवं तकनीकी निविदा प्रपत्र में बताये गये व सभी आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे।
5. निविदा शुल्क 1000 की डी.डी./बैंकर चैक, अमानता राशि की डी.डी./बैंकर चैक, प्रोसेसिंग शुल्क का डी.डी./बैंकर चैक निविदा की प्रारम्भिक तिथि से अंतिम तिथि तक में बनवायी जानी चाहिए।
6. निविदादाता द्वारा निर्धारित तिथि को 2 प्रतिशत धरोहर राशि का डी.डी./बैंकर चैक एवं निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का डी.डी./बैंकर चैक सम्बंधित ग्राम पंचायत में भौतिक रूप प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे साथ ही ई निविदा की तकनीकी बिड के साथ स्कैन कर अपलोड करने होंगे इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
7. तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ परिशिष्ट ए,बी,सी,डी एवं अन्य समस्त दस्तावेज स्कैन कर के अपलोड करना आवश्यक होगा। निविदा शर्तों एवं समस्त दस्तावेजों के प्रत्येक पेज पर मूल हस्ताक्षर करने होंगे या निविदा शर्त स्वीकार करने सम्बंधित घोषणा पत्र हस्ताक्षरित कर अपलोड करना होगा।
8. निविदादाता को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किन्ही 2 वित्तीय वर्षों में संबंधित कार्य की राशि के बराबर का राजकीय कार्यालयों में कार्य का अनुभव आवश्यक है इसके लिए संबंधित कार्यालय द्वारा जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
9. निविदादाता द्वारा निर्माण विभाग में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
10. ठेकेदार अपनी निविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंसी को नहीं सौपेगा या उप-भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
11. विनिर्देश :- (प) प्रयुक्त की गयी सभी वस्तुएँ निविदा में निर्धारित विनिर्देश ,ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगे तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गयी हो,वहाँ उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।
(प) वस्तुओं का प्रदाय,अन्य बातों के साथ,अनुमोदित मानकों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामले में,जहाँ कोई मानकीकृत या अनुमोदित मानक न हों,वहाँ अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा।
12. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान उपयोग में ली गई सामग्री उत्तम गुणवत्ता की नहीं होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदादाता द्वारा उन्हे क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा। ऐसा नहीं करने पर सम्बंधित फर्म के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।
13. विनिर्देश :- (प) प्रयुक्त की गयी सभी वस्तुएँ निविदा में निर्धारित विनिर्देश ,ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगे तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गयी हो,वहाँ

- उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।
- (प) वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित मानकों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामले में, जहाँ कोई मानकीकृत या अनुमोदित मानक न हों, वहाँ अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा।
14. **निरीक्षण या परीक्षण के दौरान उपयोग में ली गई सामग्री उत्तम गुणवत्ता की नहीं होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी।** निविदादाता द्वारा उन्हे क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा। ऐसा नहीं करने पर सम्बन्धित फर्म के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।
 15. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।
 16. सक्षम अधिकारियों द्वारा मौके पर इस्तेमाल की गई सामग्री का मिलान किया जा सकेगा। अन्तर की स्थिति में विकास अधिकारी द्वारा नियमान्तर्गत वांछित कार्यवाही की जावेगी। विकास अधिकारी द्वारा भी कार्य एवं सामग्री के संबंध में निरीक्षण किये जावेंगे।
 17. **धरोहर राशि:—** (क) धरोहर राशि का प्रतिदाय :— असफल निविदादाता की धरोहर राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद शीघ्र लौटायी जाएगी। (ख) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई धरोहर राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।
 18. **धरोहर राशि का समपहरण :—** धरोहर राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहरण कर लिया जाएगा
 - (i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रुपान्तरण करता है।
 - (ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
 - (iii) जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
 19. **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :—**
 - (1) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप पर करार पत्र निष्पादित करना होगा।
 - (2) बोली लगाने वाले को उसके खर्च पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादन करने के लिए कहा जायेगा। नियमानुसार निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा।
 - (3) भुगतान बिलों से नियमानुसार आयकर, प्रतिभूति निक्षेप राशि एवं अन्य कटौतियों की जावेंगी।
 20. कार्य अधूरा छोड़ने की अवस्था में मूल निविदाकार की अमानता राशि/धरोहर राशि एवं पीजी राशि जब्त कर बड़ी हुई लागत उपरोक्तानुसार प्राप्त हुई राशि को काट कर संबंधित से वसूल की जावेगी एवं ब्लेक लिस्ट की कार्यवाही की जावेगी।
 21. **समय पर कार्य सम्पादित नहीं किये जाने पर निम्नानुसार पेनल्टी काटी जावेगी—**
 - (1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए $2\frac{1}{2}\%$
 - (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%
 - (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक के लिए $7\frac{1}{2}\%$
 - (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10%
 - (2) प्रदाय में विलम्ब की अवधिकी गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया

जाएगा।

- (3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि होगी।
- (4) यदि कार्य को पूर्ण करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से पूरे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
22. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
23. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप-अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप-अधिकारी इस संविदा से संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।
24. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति मलारना डूंगर के क्षेत्राधिकार में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी अन्यत्र नहीं की जाएगी।
25. निविदाओं सम्बन्धी समस्त अधिकार क्रय समिति को होंगे जिनका निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
26. निविदा प्रक्रिया के निर्णय से संबंधित कार्मिकों / अधिकारियों तथा क्रय आदेश देने वाले अधिकारियों / कार्मिकों / लोक सेवकों / संविदा कर्मियों के परिजन निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
27. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने एवं बिना कारण बताये किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदा को निरस्त करने का अधिकार राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 186 तथा राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 के तहत गठित क्रय समितियों के पास सुरक्षित रहेगा।
28. निविदा प्राप्ति एवं खोलने की दिनांक को राजपत्रित अवकाश होने पर, निविदा समस्त कार्य आगामी कार्य दिवस में किए जायेंगे।
29. उपापन में भाग लेने वाली एजेन्सी / संस्था / फर्म राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अध्याय 6 सत्यनिष्ठ की संहिता का उल्लंघन करते पाये जाने पर उपापन के किसी भी स्तर पर क्रय कमेटी द्वारा एजेन्सी / संस्था / फर्म को उपापन से बाहर कर दिया जायेगा।
30. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त संबंधी व उसके पति/पत्नी) कार्य से संबंधित ग्राम पंचायत / पंचायत समितियों में किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य करने पर प्रतिबन्ध रहेगा। संवेदक द्वारा राशि 100 रुपये के स्टाम्प पर शपथ-पत्र देना होगा कि "मेरा नजदीकी रिश्तेदार कार्य से संबंधित ग्राम पंचायतों / पंचायत समितियों में किसी भी स्तर पर पदस्थापित नहीं है।" (प्रारूप संलग्न है)
31. संवेदक फर्म राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्ट नहीं है का शपथ-पत्र (राशि 100 रु के स्टाम्प पर) प्रस्तुत करना होगा।
32. पंचायतीराज विभाग मे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ सेवाएँ देने से पहले नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।

33. वित्त एवं लेखा मार्गदर्शिका 2011 के बिन्दु संख्या 15.28.6 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि “निविदा प्रक्रिया के निर्णय से सम्बद्ध कार्मिकों/अधिकारियों तथा कार्य आदेश देने वाले अधिकारियों/कार्मिकों/लोकसेवकों/संविदाकार्मिकों के परिजन निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे। इस आशय का राशि 100 रुपये के स्टाम्प पर शपथ –पत्र देना है। (प्रारूप संलग्न है)
34. वित्त विभाग की अधिसूचना सं. प20/वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी) /2017/दिनांक 22.10.2021 के तहत आरटीटीपी नियम 75ए के अनुसार अतिरिक्त कार्य संपादन प्रतिभूति ली जावेगी।
35. सत्यनिष्ठा संहिता (code of integrity) :- उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति
- (1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
 - (2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
 - (3) उपापन प्रक्रिया की पादर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
 - (4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
 - (5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुँचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
 - (6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
 - (7) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
 - (8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।
36. हित का विरोध (conflict of interest) :-
- (i) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हो जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
 - (ii) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि—
 - (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है,
 - (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है,
 - (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है,
 - (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो,
 - (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। वह

एक ही उपसंविदाकर को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है, या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्रारूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेगें कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश रखा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है

37. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग:- आरटीटीपी अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपलब्ध के भंग की दशा में उपापन धारा 11 की उप-धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार सुमचित कार्रवाई कर सकेगी।

38. अपील का प्रारूप:-

- (i) धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।
- (ii) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
- (iii) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
- (iv) प्रथम अपील अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाई माधोपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी आयुक्त पंचायतीराज विभाग जयपुर होंगे।

39. अपील फाइल करने के लिए फीस :-

- (i) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो 'अ' प्रतिदेय होगी।
- (ii) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

40. अपील अपील के निपटारे की प्रक्रिया :-

- (i) प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (ii) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी
 - (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा और
 - (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (iii) पक्षकारों की सुनवाई मामले से संबंधित दस्तावेजों सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात संबंधित प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (iv) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया

जायेगा।

41. ई-टेण्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश (यदि लागू हो):-

(अ) इन निविदाओं में इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट

<http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं।

(ब) निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट

<http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उनको पुनः लेने की आवश्यकता नहीं है।

(स) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर के साथ नहीं होंगे। उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

(द) ऑनलाईन निविदाएं निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेगी।

(य) इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गयी है।

(र) कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रॉनिक जमा कराने में किसी कारण विलम्ब/लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कार्यालय/विभाग नहीं होगा।

(ल) टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भर कर ऑनलाईन दर्ज करे।

42. जिस फर्म की दरे स्वीकृत की जावेगी उसे वित्त विभाग (टैक्स डीविजन) के नोटिफिकेशन दिनांक 06.11.2020 के तहत राशि रु 1000/- 50.00 लाख तक के कार्य हेतु एवं 50.00 लाख से अधिक के कार्य हेतु कार्य राशि का 0.15% के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबन्ध करना होगा तथा माल एवं सेवाओं हेतु रु 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा जिसका व्यय संबंधित फर्म को वहन करना होगा।

43. **भुगतान** — फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के बिल सम्बन्धित ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किये जावें तथा योजनाओं में भुगतान से पूर्व पंचायत समिति के सहायक लेखाधिकारी द्वारा बिल की जांच के उपरांत ही भुगतान किया जा सकेगा।

44. निविदादाता द्वारा निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर व साथ में लगाये गये प्रत्येक प्रपत्र पर लघु हस्ताक्षर करने होंगे।

45. कार्य की धरोहर राशि कार्य की डिफेक्ट लाईबिलिटी 01 (एक) वर्ष की समयावधि बाद एवं कार्य के तदनुसार सही स्थिति में होने के सत्यापन के पश्चात् संबंधित को लौटायी जायेगी।

46. सफल निविदादाता द्वारा RTPP Rules 75 के तहत धरोहर/प्रतिभूति राशि 07 दिवस में डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा जमा करवाकर अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा।

47. RTPP Rules 48 के तहत बोली की विधि मान्यता अवधि 90 दिवस होगी।

48. RTPP Rules. 73 के तहत परिमाणों में परिवर्तन का अधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित होगा। जिसके तहत उपापन की मात्राये कम-ज्यादा की जा सकती है।

49. सफल निविदादाता दर संविदा पर दर संविदा की अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा आवश्यकता होने पर लिखित में मांग पत्र जारी किये जाने पर निर्वाद रूप से सामग्री आपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। एवं निविदा शर्तों एवं करार पत्र के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य रहेगा।
50. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (महात्मा गांधी नरेगा) जयपुर से जारी वित्त एवं लेखा मार्गदर्शिका 2011 तथा राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 में उल्लेखित क्रय नियम एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन होगी। और निविदा की शर्तों में किसी भी प्रकार का विवाद होने की दशा में उक्त नियमों के प्रावधान ही अंतिम होंगे निविदा दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि इन नियमों का भलीभांती अवलोकन कर लेवे।
51. सामग्री की कम से कम दस वर्षों की गारन्टी होना आवश्यक है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
दिनांक –
नाम पूर्ण पता मोहर सहित

शपथ पत्र

(100 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम पर)

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उम्र
निवासी तहसील जिला शपथ पूर्वक बयान करता हूँ
कि—

1. मेरी कम्पनी का नाम है।
2. मेरी फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 पंजीयन संख्या हैं।
3. मैं इस फर्म/कम्पनी का प्रोपराइटर/अधिकृत प्रतिनिधि हूँ।
4. मेरी फर्म/कम्पनी किसी भी सरकारी विभाग/राजकीय उपक्रम/स्वायमशासी संस्था/सरकारी निगम/प्राइवेट संस्था ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं।
5. मेरी फर्म/कम्पनी द्वारा सभी प्रकार के कर समय पर संबंधित विभाग में जमा करवाये जाते हैं।

उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान से सही एवं सत्य हैं। कोई भी कथन असत्य पाए जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

हस्ताक्षर
शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापन करता/करती हूँ, कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान से सही एवं सत्य हैं।

हस्ताक्षर
शपथ ग्रहिता

प्रपत्र

शपथ-पत्र

1. यह कि प्रोपराईटर- फर्म है व मैं इस फर्म का एक मात्र प्रोपराईटर हूँ।
2. पंचायत समिति मलारना डूंगर एवं उसके अधीनस्थ ग्राम पंचायत कार्यालय में कार्यरत कोई भी कर्मचारी/अधिकारी मेरा रिश्तेदार नहीं है।

शपथग्रहिता

प्रोपराईटर

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र के समस्त तथ्य सत्य हैं।
ईश्वर मेरा साक्षी है।

प्रोपराईटर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

देखिए नियम 48 अपप

मैं / हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि मैंने/ हमने जिन मालों / सामानों / उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका / उनके मैं / हम बोनाफाइड विनिर्माता/ थोक विक्रेता / सोल वितरक/ प्राधिकृत डीलर/ सोल विक्रय/ विपणन एजेंट हूँ/ है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप से समपहत किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है रद्द किया जा सकेगा। निविदादाता के हस्ताक्षर निविदादाताओं द्वारा घोषणा मैं/ हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/ संस्था के पास कार्य पूर्ण अनुभव है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/ हमारी धरोहर राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग / सीमा तक स्वीकार किया गया है को रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं / हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे / संस्था के पास कार्य पूर्ण अनुभव है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/ हमारी धरोहर राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग / सीमा तक स्वीकार किया गया है को रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
 - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
 - d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Signature of bidder with seal

Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is -----

The designation and address of the Second Appellate Authority is -----

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
- (4) Appeal not to lie in certain cases
No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-
 - (a) Determination of need of procurement.
 - (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
 - (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
 - (d) Cancellation of a procurement process.
 - (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
 - (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
 - (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.
- (6) Fee for filing appeal
- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
 - (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
- (7) Procedure for disposal of appeal
- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
 - (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
 - (i) hear all the parties to appeal present before him: and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
 - (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
 - (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of bidder with seal

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

- I. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- II. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and total shall be corrected; and
- III. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

if the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter or procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder with seal

FINANCIAL UNDERTAKING

I/We have clearly understand all the terms and conditions of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the tender document at the rate quoted by me/us at the destinations specified by department.

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid, agreement and the orders of concerned head of the office from time to time.

I/We will furnish the prescribed performance security amount of 5 % on the total value of the cost of the quantity for supply, within fifteen (15) days of the acceptance of my/our Bid and enter into agreement.

I/We are well aware of the forfeiture clause in the terms and conditions of the Bid and my/our Bid Security stand forfeited if I/we fail to furnish the prescribed performance security and also enter into agreement within the stipulated time (15 days) of acceptance of my/our bid and I/We will strictly abide by the terms and conditions etc. as per the agreement. In the event of non-fulfillment of contract by me/us, my/our security deposited or any amount available with the department is liable to be forfeited, award of supply contract stand cancelled besides blacklisting me/us.

SIGNATURE OF THE BIDDER**NAME:****ADDRESS:**

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :

(i) Name of the appellant :

(ii) Official address, if any :

(iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against
and name and designation of the officer/ authority
who passed the order (enclose copy), or a statement
of a decision, action or omission of the Procuring Entity
in contravention to the provisions of the Act by which
the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented
by a representative, the name and postal address
of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal :.....

.....

.....

..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer :.....

.....

.....

.....

.....

Place

Date

Appellant's Signature

AGREEMENT

(See Rule 68)

An agreement made this ----- day of ----- between -----
(hereinafter called "the approved supplier", which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators of the one part and the Government of the State of Rajasthan (herein after called "the Government" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

2. Whereas the approved supplier has agreed with the Government to supply to the _____ of the State of Rajasthan at its Head Office as well as at branches offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column _____ of the said schedule.

3. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs. _____ in _____.

- (1) Cash/Bank Draft/Challan no./Banker Cheque No. _____ dated _____.
- (2) PostOfficeSavingsBankPass Book duly hypothecated to the Departmental authority.
- (3) National Savings Certificates/Defence Savings Certificates, KisanVikasPatras, or any other script/instrument under National Saving Schemes for promotion of Small Savings, if the same can be pleased under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formally transferred to the departmental authority.

4. Now these Presents witness:

- (1) In consideration of the payment to be made by the Government through _____ at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in _____ and _____ thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.
- (2) The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice No. _____ dated _____ and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.
- (3) Letters Nos. _____ received from tenderer and letters nos. _____ issued by the Government and appended to this agreement shall also form part of this agreement.\
- (4) (a) The Government do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the Government will through _____ pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.

GF&AR - II

(b) The mode of Payment will be as specified below:-

1. _____
2. _____
3. _____

5. The delivery shall be effected and completed within the period noted below from the date of supply order:-

S.No.

Items	Quantity	Delivery period
-------	----------	-----------------

6. (1) (i) In case of extension in the delivery period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of stores which the tenderer has failed to supply :-

- | | |
|--|-----|
| (a) Delay upto one fourth period of the prescribed delivery period. | 2½% |
| (b) Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period. | 5% |
| (c) Delay exceeding one fourth but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period. | 7½% |
| (d) Delay exceeding three fourth of the prescribed delivery period. | 10% |

Note : (i) Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.

(ii) The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10%.

(iii) If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurrence of any hinderences, he shall apply in writing to the authority which had placed the supply order, for the same immediately on occurrence of the hinderence but not after the stipulated date of completion of supply.

(2) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of hinderences beyond the control of the tenderer.

7. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the Government and the decision of the Government shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the..... day of199.....

Signature of the approved supplier.

Signature for and on behalf of Governor
Designation

Date:

Witness No. 1

Witness No.2

Date:

1. Witness

2. Witness